

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशय

8/11/24

पत्रावली पेश हुयी वकील यात्री उप।
 वकील यात्री की एकपक्षीय बहस
 सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। यात्री अपना प्र.पत्र
 साबित करने में असमर्थ रहा है शीर्षक
 यात्री का प्र.पत्र साबित न होने
 के आधार पर खारिज किया
 जाता है। पत्रावली जैमल शुभा
 होकर यह नमूना से कठ हो आदेश।
 खुले आलाप्य से सुनाया गया।

(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेक

